आर.ई.ओ. – 71

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर–342 003 फोन नं. 0291 2651227 (का) फेक्स नं० 2741870

क्रमांकः– प्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु–पीपीएम/पत्रा०सामान्य /प्रे०सं० 16.54 जोधपुर,दिनांक 20/2/2004

आदेश

विषय :– निरस्त आवेदन पत्रों को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में।

****

पूर्व में निगम के आदेश संख्या क्रमांकः अप्रनि/जोधपुर डिस्कॉम /अनु–पीपीएम /पत्रा०सामान्य प्रे०सं० 876 जोधपुर, दिनांक 26.8.2003 (आर.ई.ओ.56) के द्वारा ऐसे समस्त उपभोक्ता जिनके आवेदन अप्रेल 1999 के बाद मांग पत्र जमा नहीं कराने के कारण निरस्त हो गये थे उनको दिसम्बर 2003 तक रुपये 500/– जमा कराने पर पुनर्जीवित कराने का प्रावधान किया गया था।

अब कृषि आवेदकों /जन–प्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुये राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे समस्त उपभोक्ता जिनके आवेदन अप्रेल 1999 के बाद मांग पत्र जमा नहीं कराने के कारण निरस्त हो गये है, उनको 15 मई 2004 तक रुपये 500/– जमा कराने पर आवेदन पुनर्जीवित कराने का एक और अवसर दिया जा रहा है। मांग पत्र वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार दिये जावेंगे, अन्य प्रावधान यथावत रहेंगें।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(आर.एस.चौधरी)
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।